

अभियान बसेरा: बिहार में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का हक

योजना की खास बातें

92,000+

परिवारों को मिला लाभ

अब तक राज्य के 92 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को वासभूमि का मालिकाना हक दिया जा चुका है।

3

डिसमिल जमीन का प्रावधान

अभियान बसेरा-2 के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाती है।



लक्षित समूह

यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र भूमिहीन परिवारों के लिए है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज



परिवार का विवरण और आधार

परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, मोबाइल नंबर और सभी ब्यस्क सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रेषणित (Self-Attested) प्रतियां।



पहचान और निवास के प्रमाण

जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज और परिवार का वर्तमान ग्रुप फोटो।



शपथ-पत्र (Affidavit)

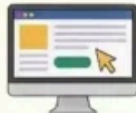
निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र कि परिवार के पास कोई वासभूमि नहीं है और पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है।



सरकारी जमीन पर बसे होने की स्थिति में

यदि सरकारी जमीन पर बसे हैं, तो मौजा, खाता, खेसरा की जानकारी और पुराने निवास के साक्ष्य देने होंगे।

आवेदन कैसे करें?



ऑनलाइन पोर्टल (Bihar Bhumi Portal)

आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर 'अभियान बसेरा' हेतु आवेदन करें विकल्प चुनें।



अंचल कार्यालय (Anchal Office)

संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें और अंचलाधिकारी से 'प्राप्ति रसीद' लेना न भूलें।



पंचायत शिविर (Panchayat Camps)

पंचायत सरकार भवनों में आयोजित होने वाले विशेष चार दिवसीय शिविरों में भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश और चेतावनी



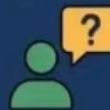
पटना आने की जरूरत नहीं

आवेदन के लिए राज्य मुख्यालय पटना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी होगी।



दलालों और भ्रम से बचें

यदि कोई व्यक्ति या संगठन पटना बुलाकर भूमिगत करती है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



शिकायत और सुझाव

किसी भी समस्या या सुझाव के लिए जन शिकायत पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in का उपयोग करें।